संoसंo–टी–02 / नामांo(प्रशिo)–08 / 2026....1409.... /

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य
राजकीय औo प्रo संस्थान,
(एलo डब्लू ईo एवं महिला सहित), बिहार।
2. सभी प्राचार्य / निदेशक
निजी औo प्रo संस्थान, बिहार।

पटना, दिनांक....06.08.2026

विषयः– NCVT से संबंधन प्राप्त राज्यान्तर्गत सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2026 में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा राज्य के नामांकन पोर्टल–dct.bihar.gov.in पर अपलोड, सत्यापन एवं अन्य कार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः– DGT भारत सरकार के पत्रांक–77713 दिनांक–08.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि वर्ष 2026 में राज्यान्तर्गत सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा राज्य के नामांकन पोर्टल–dct.bihar.gov.in पर अपलोड एवं पोर्टल के माध्यम से SIDH Portal पर Migrate किया जाना है, जिसके लिए दिनांक–10.08.2026 से पोर्टल पर डाटा अपलोड का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। नामांकन पोर्टल पर डाटा अपलोड करने हेतु प्रत्येक सरकारी / गैर सरकारी औo प्रo संस्थान अपने–अपने User ID एवं Password का उपयोग करेंगे। वैसे संस्थान जिनको User ID एवं Password उपलब्ध नहीं है वे पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी सभी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। नामांकन पोर्टल पर आपके द्वारा अपलोड किये गये डाटा को अविलम्ब ऑनलाईन सत्यापित भी आपके द्वारा करना है। तदोपरान्त उक्त डाटा का सत्यापन नोडल औo प्रo संस्थान द्वारा किया जायेगा। डाटा सत्यापन कार्य हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जिसका अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायः–

1. वर्ष 2026 में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा निम्न दस्तावेजों के साथ सत्यापित हार्ड कॉपी में व्यवसायवार निम्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेख यथाः–
   (i) संस्थान का संबंधन पत्र (सत्यापित प्रति)
   (ii) नामांकन पंजी (सत्यापित प्रति)
   (iii) नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो तो (सत्यापित प्रति)
   (iv) जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र (माध्यमिक / 10वीं का प्रमाण पत्र)(सत्यापित प्रति)
   (v) विहित प्रारूप में स्वघोषणा (प्रारूप पत्र के साथ संलग्न)
   (vi) प्रशिक्षणार्थियों की विवरणी हेतु विहित प्रारूप निम्नवत् हैः–

विहित प्रपत्र

क्रo संo	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार संख्या(वैकल्पिक)	मोबाईल नंo	नामांकित व्यवसाय	शिफ्ट	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. संबंधित संस्थान कंडिका–01 के अनुसार अभिलेखों एवं सूची के साथ संबंधित नोडल औo प्रo संस्थानों को दो प्रति में दिनांक–22.08.2026 को संध्या 05:00 बजे तक निश्चित रूप से हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित कार्यालय से नियमानुसार प्राप्ति प्राप्त कर लेगें।
3. विलम्ब से जमा डाटा / अभिलेख पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. चूंकि नामांकन पोर्टल पर Online Verification का कार्य ससमय संपादित किया जाना है एवं Verified Data को ससमय SIDH Portal पर Migrate किया जाना है। इस परिपेक्ष्य में नोडल

K-449

औ0 प्र0 संस्थानों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में Data Verification दिनांक–30.08.2026 तक करना सुनिश्चित करेंगे।

5. संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किया गया डाटा SIDH Portal पर प्रदर्शित शिफ्ट/यूनिटवार रिक्तियों एवं NIMI द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के अनुरूप है एवं अन्य कोई त्रुटिपूर्ण डाटा उनके द्वारा नामांकन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। SIDH Portal पर डाटा माइग्रेट होने के क्रम में त्रुटियों के निराकरण करने पर अपना सूक्ष्म नजर बनाये रखें एवं त्रुटि का आवश्यक निराकरण ससमय अपने स्तर से करते हुये जाँच कर लें कि डाटा SIDH Portal पर सफलतापूर्वक माइग्रेट हो गया है। SIDH Portal पर माइग्रेटेड डाटा से संबंधित कार्रवाई यथा Trainee Verification एवं Approval ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
6. संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि वे नोडल कार्यालय में अपने नामांकन से संबंधित वांछित डाटा आवश्यक अभिलेख के साथ जमा करेंगे एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेगें। किसी भी परिस्थिति में संस्थान द्वारा आधा–अधूरा/भागों में डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाय। अन्यथा उनपर विचार नहीं किया जायेगा।
7. संबंधित संस्थान यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि जो अभिलेख / दस्तावेज उनके द्वारा नोडल कार्यालय में जमा किया जा रहा है, पर उनके संस्थान के प्राधिकृत व्यक्ति का स्पष्ट रूप से नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर अंकित है।
8. डाटा अपलोड करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का शुल्क DGT द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह शुल्क संबंधित संस्थान द्वारा देय होगा।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेख के साथ वर्ष 2026 में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा दिनांक–21.08.2026 तक अपलोड करते हुए संबंधित अभिलेख अचूक रूप से दिनांक–22.08.2026 के संध्या 05:00 तक नोडल कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य को निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/8/26

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

पत्रांकः– टी–02/नामां0(प्रशि0)–08/2026......1409...../ पटना दिनांक........06.08.2026

प्रतिलिपिः–सभी नोडल प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय औ0 प्र0 संस्थान, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि डाटा सत्यापन का कार्य ससमय सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

2. आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री प्रवीण कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स, सी0एम0एस0 कम्प्यूटर्स इंडिया प्रा0 लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/26

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

K-450